



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224028
CG-DL-E-30122020-224028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 678]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 813(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2020 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-II में, -

(क) सारणी में भाग क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों के संबंध में प्रथम कॉलम में आने वाली "उत्तर प्रदेश" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"उत्तर प्रदेश

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड एवं सलाहकार, भूमि सुधार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सदस्य, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

महानिदेशक, प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
कृषि उत्पादन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
औद्योगिक विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
मंडलायुक्त (आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
महानिदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
समाज कल्याण आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मंडलायुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
खाद्य एवं औषध प्रशासन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, व्यापार कर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
ग्रामीण विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आवास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
डेयरी विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पंजीयक, सहकारी समितियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आबकारी आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
गन्ना आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, कारागार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, पर्यटन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकरण-II	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सदस्य (न्यायिक) राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, खाद्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पंजीकरण और टिकट महानिरीक्षक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
चकबंदी आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य सचिव के प्रधान स्टॉफ अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

निदेशक, संस्कृति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महानिदेशक, स्कूली शिक्षा (डीजीएसई)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राहत आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, सूचना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, राज्य कृषि उपज मार्केट बोर्ड, उत्तर प्रदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उपाध्यक्ष, (लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) सारणी में भाग ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों, जिनमें वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता वाले पद शामिल हैं, के संबंध में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

" जिलाधिकारी
संयुक्त विकास आयुक्त {सीडीओ/अपर/संयुक्त परियोजना प्रशासक, क्षेत्र विकास
सरकार के विशेष सचिव
अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त
निर्यात आयुक्त, वस्तु/सेवाएं
अपर पंजीयक, सहकारी समितियां
अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास
अपर/संयुक्त आयुक्त, व्यापार कर
निदेशक, पंचायत
निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार
निदेशक, समाज कल्याण
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, स्थानीय निकाय
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक
निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अपर आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व बोर्ड
निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और सरकार के संयुक्त/विशेष सचिव
निदेशक (प्रशासन), एसजीपीजीआई
अपर निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
अपर आवासीय आयुक्त
अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
राज्य मिशन निदेशक/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन
निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश
अपर गन्ना आयुक्त (प्रशासन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उत्तर प्रदेश
निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश

[फा. सं. 11031/02/2020-अ.भा.से.-II (ख)]

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को दिनांक 08 सितम्बर 2016 की सा.का.नि. 870 (अ) के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तिथियों द्वारा संशोधित किया गया था:-

क्रम.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178 (अ)	27.12.2016
3.	1194 (अ)	30.12.2016
4.	575 (अ)	12.06.2017
5.	1382 (अ)	10.11.2017
6.	1429 (अ)	17.11.2017
7.	1585 (अ)	22.12.2017
8.	566 (अ)	15.06.2018
9.	819 (अ)	28.08.2018
10.	1124 (अ)	16.11.2018
11.	1222 (अ)	19.12.2018
12.	218 (अ)	13.03.2019
13.	766 (अ)	09.10.2019

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Uttar Pradesh** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “**Uttar Pradesh**” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Uttar Pradesh

Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
Chairman, Board of Revenue & Adviser, Land Reforms	Level 17 in the pay matrix
Chairman, Administrative Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	Level 17 in the pay matrix
Member, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix
Director General, Training	Level 17 in the pay matrix
Agriculture Production Commissioner	Level 17 in the pay matrix
Industrial Development Commissioner	Level 17 in the pay matrix
Divisional Commissioners (Agra, Varanasi, Meerut, Lucknow, Allahabad, Kanpur)	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to the Government	Level 15 in the pay matrix
Resident Commissioner, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Governor	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
Director General, State Institute of Rural Development	Level 15 in the pay matrix
Social Welfare Commissioner	Level 15 in the pay matrix
Chief Electoral Officer	Level 14 in the pay matrix
Divisional Commissioners	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Food and Drugs Administration Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Trade Tax	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Rural Development	Level 14 in the pay matrix
Transport Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Housing Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Dairy Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Registrar, Cooperative Societies	Level 14 in the pay matrix
Director, Administrative Training Institute	Level 14 in the pay matrix
Commissioner & Director, Industries	Level 14 in the pay matrix
Excise Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Director, Handlooms & Textiles	Level 14 in the pay matrix
Cane Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner & Secretary, Board of Revenue.	Level 14 in the pay matrix
Director General, Prisons	Level 14 in the pay matrix
Director General, Tourisms	Level 14 in the pay matrix
Chief Executive Officer, NOIDA	Level 14 in the pay matrix
Chief Executive Officer, Greater NOIDA	Level 14 in the pay matrix
Labour Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Chairman Administrative Tribunal II	Level 14 in the pay matrix
Member (Judicial) Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Food	Level 14 in the pay matrix

Inspector General of Registration & Stamps	Level 14 in the pay matrix
Commissioner for Consolidation	Level 14 in the pay matrix
Principal Staff Officer to Chief Secretary	Level 14 in the pay matrix
Director, Culture	Level 14 in the pay matrix
Director, National Health Mission, Uttar Pradesh	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Uttar Pradesh Information Commission	Level 14 in the pay matrix
Director General, School Education (DGSE)	Level 14 in the pay matrix
Relief Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Director, Information	Level 14 in the pay matrix
Director, State Agricultural Produce Markets Board, Uttar Pradesh	Level 14 in the pay matrix
Vice Chairman, (Lucknow Development Authority, Ghaziabad Development Authority)	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Uttar Pradesh the following shall be substituted,—

“ District Magistrates
Joint Development Commissioner/CDO/Additional/Joint Project Administrator, Area Development
Special Secretary to Government
Additional/Joint Labour Commissioner
Export Commissioner Goods/Services
Additional Registrar, Cooperative Societies
Additional Commissioner, Rural Development
Additional/Joint Trade Tax. Commissioner
Director, Panchayats
Director, Training & Employment
Director, Social Welfare
Secretary, Public Service Commission
Director, Local Bodies
Regional Food Controller
Director(Administration), Medical Health & Family Welfare
Additional Commissioner & Additional Secretary, Board of Revenue
Director, Bureau of Public Enterprises and Joint/Special Secretary to Government
Director (Administration), SGPGI
Additional Director, Administrative Training Institute
Additional Resident Commissioner
Additional Mission Director, National Health Mission, UP
State Mission Director/Additional Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Rural Livelihood Mission
Director, State Nutrition Mission, U.P.
Additional Cane Commissioner (Administration)
Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Rural Road Development Agency
Director, Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency
Director, Swachh Bharat Mission (Gramin), Uttar Pradesh
Director, Women Welfare, Uttar Pradesh”

[F. No. 11031/02/2020-AIS-II(B)]

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number GSR 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178 (E)	27.12.2016
3.	1194 (E)	30.12.2016
4.	575 (E)	12.06.2017
5.	1382 (E)	10.11.2017
6.	1429 (E)	17.11.2017
7.	1585 (E)	22.12.2017
8.	566 (E)	15.06.2018
9.	819 (E)	28.08.2018
10.	1124 (E)	16.11.2018
11.	1222 (E)	19.12.2018
12.	218 (E)	13.03.2019
13.	766 (E)	09.10.2019